महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151.2212044 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: Registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/ दिनांक

विद्या परिषद की 15वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 31-08-2016 को प्रात: 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. चन्द्रकला पाडिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया	:	अध्यक्ष
2.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल	:	अधिष्ठाता, कला संकाय
3.	डॉ. एम.डी. गौरा	:	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
4.	डॉ. विभा शर्मा	:	अधिष्ठाता, विधि संकाय
5.	डॉ. बेला भनोत	:	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान
6.	डॉ. सुरेन्द्र सहारण	:	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
7.	डॉ. भवानी शंकर शर्मा	:	माननीय राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य
8.	डॉ संध्या जैन	:	सदस्य
9.	डॉ सुमन चन्द्र शर्मा	:	सदस्य
10.	श्रीमती ज्योति लखाणी	:	सदस्य
11.	डॉ. आर.पी. माथुर	:	सदस्य
12.	डॉ गौतम कुमार मेघवंशी	:	सदस्य
13.	डॉ. देदाराम	:	सदस्य
14.	डॉ. मीरा श्रीवास्तव	:	सदस्य
15.	डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित	:	सदस्य
16.	डॉ. कमलेश खत्री	:	सदस्य
17.	डॉ. बजरंग सिंह राठौड	:	सदस्य
18.	डॉ. एन.एस. राव	:	सदस्य
19.	डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव	:	सदस्य
20.	डॉ. मोहम्मद हुसैन	:	सदस्य
21.	डॉ. यशवंत गहलोत	:	सदस्य
22.	डॉ. एस.एन. शर्मा	:	सदस्य
23.	डॉ. रिषभ जैन	:	सदस्य

24.	डॉ. जी.एस. मान	:	सदस्य
25.	डॉ. रंजन सक्सेना	:	सदस्य
26.	डॉ. सतीश कौशिक	:	सदस्य
27.	डॉ. वी.एन. सिंह	:	सदस्य
28.	डॉ. उमाकान्त गुप्त	:	सदस्य
29.	डॉ. दीपा माथुर	:	सदस्य
30.	डॉ. प्रकाश अमरावत	:	सदस्य
31.	डॉ. सुमित्रा चारण	:	सदस्य
32.	डॉ. अभिलाषा आल्हा	:	सदस्य
33.	डॉ. धनवन्तरी विश्नोई	:	सदस्य
34.	डॉ. श्याम सुन्दर ज्याणी	:	सदस्य
35.	डॉ. देवीशंकर	:	सदस्य
36.	श्री यशवंत सिंह भाकर	:	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदया द्वारा बैठक में नवमनोनीत समस्त माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया तथा विद्या परिषद के समस्त पूर्व सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन हेतु दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही बिन्दुवार प्रारंभ हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/01

विद्या परिषद की 14 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के माननीय सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/02

विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट संलग्न कर विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - पालना प्रतिवेदन

निर्णय : विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2016 में लिये गए निर्णयों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य प्रो. एस.के. अग्रवाल ने निम्नलिखित बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षण कराया :-

1. विद्या परिषद की 13 वी बैठक दिनांक 17-06-2014 की पालना रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 0((महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु संकाय/विषयवार निरीक्षक पैनल की सूची) अधिष्ठताओं से प्राप्त कर का निर्णय लिया गया था उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय कुलपति महोदया अधिष्ठाताओं से निरीक्षण पैनल की सूची प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये ।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने व सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक आयोजित नही हो पाई। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि उक्त प्रस्ताव को डॉ. भुवनेश गुप्ता द्वारा रखा गया था डॉ. भुवनेश गुप्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण बैठक का आयोजन नही हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदया ने शीघ्र बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये।
3. Knowledge Traditions and Practices of India पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर प्रारम्भ करने व सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा यथाशीघ्र प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल से चर्चा कर उक्त बिन्द के निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये गए।
4. विश्वविद्यालय स्तर पर Credit Framework for skills and Choice Based Credit System (CBCS) लाग करने के लिए कार्यशाला शीघ्र से शीघ्र आयोजित करने हेतु प्रो. एस. के अग्रवाल को निर्देशित किया गया।
5. विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना के सम्बन्ध में समिति से प्राप्त रिपोर्ट प विस्तृत चर्चा की गई। माननीय सदस्य डॉ. नारायण सिंह राव ने सदन को अवगत कराया कि सेन्ट फॉर कैनेडियन स्टडीज अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय से भी सम्बन्धित है। साथ ही स्टडीज सेन्टर हेतु निदेशक के कार्यकाल की अवधि 05 वर्ष के स्था पर 02 वर्ष की जानी उचित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना के लिए प्रस्ताव कनेडियन इस्टीट्यूट ऑफ कनेडियन एम्बेसी को भिजवाया जाना चाहिए तथा उनकी स्वीकृति पश्चात ही विश्वविद्यालय में सेन्ट फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही अध्यक्ष महोदया ने अवगत कराया कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कनेडियन इस्टीट्यूट ऑफ कनेडियन एम्बेसी द्वारा प्रथमत: कैनेडिय इस्टीट्यूट प्रोग्राम संचालित करने की स्वीकृत प्रदान की गई थी । लगभग 15 वर्ष पश्चात सेन्टर फो कैनेडियन स्टडीज की स्थापना हो सकी

उपरोक्त चर्चा उपरान्त विद्या परिषद द्वारा सेन्टर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना के सम्बन्ध में गठित समिति में इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के विशेषज्ञों को सम्मिलि करते हुए नये सिरे से प्रस्ताव तैयार कर इण्डियन कैनेडियन स्टेडीज को भिजवाये जाने का निर्ण लिया गया । साथ ही नये सिरे समिति गठित करने एवं उनकी अनुशंसा पर निर्णय करने हेतु विद्य परिषद द्वारा कुलपति महोदया को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

6. महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु पैनल के सम्बन्ध में अधिष्ठाता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ. मीरा श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि निरीक्षण दल में महाविद्यालयों व्याख्याताओं की वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि स्नातकोत्तर/स्नातक प्राचार्य को एसोसियट प्रोफेसर से कहीं अधिक अनुभव प्राप्त होता है। माननीय सदस्य डॉ. भवानी शंकर शर्मा ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु राजकीय सेवा से सेवानिवृत प्राचार्यो/व्याख्याताओं को भी लगाया जाना चाहिए। उक्त सुझाव पर माननीय सदस्य डॉ. जी. एस. मान ने सुझाव दिया कि राजकीय सेवा के साथ-साथ निजी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याताओं को भी निरीक्षण दल में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सदस्य सचिव ने सुझाव दिया कि अधिष्ठाता समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा को सुझावात्मक रूप से स्वीकार करते हुए एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण पैनल बनाया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल में क्रमवार निरीक्षकों को लगाया जा सके।

उपरोक्तानुसार विद्या परिषद द्वारा निरीक्षण हेतु निरीक्षण पैनल बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही निरीक्षक पैनल के अनुमोदन होने तक माननीय कुलपति महोदया को समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं एवं विद्या परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षक दल का गठन करने हेतु अधिकृत किया गया।

7. एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु योग्यता के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति से प्राप्त रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एमएस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में Fundemental of Mathematics को सम्मिलित करते हुए किसी भी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण छात्र को एमएस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

8. विश्वविद्यालय विभागों में सेमेस्टर प्रणाली हेतु नियम/परिनियम के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के समस्त नियम/परिनियम बनाने का कार्य निजी एजेन्सी को दिया गया है। उसी एजेन्सी को उक्त नियम/परिनियम उपलब्ध करवाकर विश्वविद्यालय नियम/परिनियमों में सम्मिलित करवाया जा सकता है। एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत नियम बनकर उनका अनुमोदन नही हो जाता है तब तक सैद्वान्तिक रूप से समि द्वारा प्रस्तुत नियमों को ही स्वीकार किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत नियमों में Promotion to the next Semester नियमों में Single Paper Qualify के स्थान पर नियम 10 के सदंर्भ में न्यूनतम 50 प्रतिशत पेपर पास होने की स्थिति में आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सुझाव को स्वीकार कर नियमों में संशोधन करते विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

9. शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि में शिथिलन से सम्बन्धी निर्णय पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि श्री गौरीशंकर प्रजापत एवं अन्य शोधार्थी द्वारा शोध पर्यवेक्षक की निजी समस्याओं के कारण उनका निर्धारित अवधि में शोध कार्य पूर्ण नही हो सका है। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। सदस्य सचिव द्वारा सदन के ध्यान में लाया गया कि शोध कार्य हेतु आर्डिनेंस में

अवधि की सीमा का निर्धारण होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों को अवधि में छूट प्रदान की जाती है तो यह आर्डिनेंस के नियमों का उल्लघंन माना जाएगा।

उपरोक्त सुझावों पर चर्चा उपरान्त विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदया को अधिकृत करते हुए पत्रावली पर स्पष्ट कारण सहित टिप्पणी अंकित करते हुए शोध कार्य हेतु अवधि में छूट प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।

पालना रिपोर्ट का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/03

अधिष्ठाता, विज्ञान, विधि एवं वाणिज्य संकाय के पद पर मनोनयन हेतु जारी आदेशो के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 9 (क) (VII) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F 07(460)/MGSU/Acad./2015/13197-267 Dated 09-07-2015 के द्वारा प्रो. एम.एम. सक्सेना को विज्ञान संकाय, विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F 07(460)/MGSU/Acad. /2015/13304-317 Dated 09-07-2015 के द्वारा विभा शर्मा को विधि संकाय एवं आदेश क्रमांक F 07(460)/MGSU/Acad./2015/13268-303 Dated 09-07-2015 के द्वारा डॉ. आर.सी. सुथार को वाणिज्य संकाय को दो वर्ष की अवधि या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक अधिष्ठाता मनोनीत किया गया। उक्त आदेशों में से डॉ. आर.सी. सुथार के दिनांक 30-09-2015 को सेवानिवृत हो जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F 07(460)/ MGSU/Acad./2015/23096-114 Dated 07-10-2015 के द्वारा दो वर्ष की अवधि या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक डॉ. मातादीन गौरा को वाणिज्य संकाय का अधिष्ठाता मनोनीत किया गया।

उपरोक्तानुसार अधिष्ठाताओ के मनोनयन हेतु जारी आदेश विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न - कार्यालय आदेश

निर्णय : अधिष्ठाताओं के मनोनयन हेतु जारी आदेशों का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/04

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदया द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जा चुका है। प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : सत्र 2016-17 के पाठ्यक्रम जिनका अनुमोदन माननीय कुलपति महोदया द्वारा किया गया था उक्त पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/05

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति-2016-17 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव:-

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2016-17 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाले प्रवेश नीति 2016-17 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है, उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश नीति 2016-17 के अनुसार ही प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पीएच.डी. में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली MPCET में आरक्षण प्रावधान निर्धारित करने हेतु प्रवेश नीति में उल्लेखित एम.फिल. के अनुसार ही पीएच.डी. में आरक्षण प्रावधान निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। माननीय सदस्य प्रो. एस. के. अग्रवाल ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को स्वयं की प्रवेश नीति बनानी चाहिए।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/06

विश्वविद्यालय समकक्षता समिति बैठक दिनांक 11-02-2016 के कार्यवाही विवरणों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 11-02-2016 को माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - समकक्षता समिति बैठक का कार्यवाही विवरण

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 11-02-2016 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्य डॉ. मीरा श्रीवास्तव ने Microbiology and Environmental Science अंतर्विषयक अभ्यर्थियों को पीएच.डी. हेतु योग्य माने के निर्णय पर आपत्ति व्यक्त की। माननीय सदस्य का मत था कि Botany, Zoology भी अंतर्विषयक है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विषय भी अंतर्विषयक श्रेणी में आते है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पीएच.डी. हेतु योग्य क्यों नही माना जा रहा है।

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर चर्चा उपरान्त समस्त अंतर्विषयक विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/07

शैक्षणिक सत्र 2015-16 में विश्वविद्यालय द्वारा नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने एवं अस्थाई सम्बद्धता निरस्त किये जाने वाले महाविद्यालयों के अनुमोदन का प्रस्ताव :

शैक्षणिक सत्र 2015-16 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई नवीन सम्बद्धता हेतु प्रत्येक महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई। सत्र 2015-16 में प्रदत्त अस्थाई नवीन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय एवं अस्थाई सम्बद्धता समाप्त किये गए महाविद्यालयों की सूची विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

S.No.	College Name	District	Esstt. Year
1.	Ch. K.R. Godara Memorial College, Sangaria Road, Baseer, Tibbi,	Hanumangarh	2015-16
2.	M.D. College, Megha highway, Pallu Rawatsar	Hanumangarh	2015-16
3.	Eklavya College, Ratangarh	Churu	2015-16
4.	Smt. Bado Devi Sihag, Sidhmukh	Churu	2015-16
5.	Gyan Tripti Mahavidhyalya, Anupgarh.	Sriganganagar	2015-16
6.	Sardar Patel Law College, Sriganganagar.	Sriganganagar	2015-16
7.	Ganesh Degree College, Bhopalsar, Suratgarh	Sriganganagar	2015-16
8.	Guru Teg Bahadur B.Ed. College, Anupgarh	Sriganganagar	2015-16
9.	Tapovan College of Special Education & Resurch	Sriganganagar	2015-16
10.	Carrier T.T. College, Kissan Coloney, Sujangarh, Churu	Churu	2015-16
11.	Chandra Shekhar Mahila T.T. College, Sujangarh, Churu	Churu	2015-16
12.	H.B. Bhansali T.T. College, Devani, Via-Chaper, Sujangarh, Churu	Churu	2015-16
13.	M.R.S. Shri Krishan Parnami Women T.T. College,	Hanumangarh	2015-16

साथ ही शैक्षणिक सत्र 2015-16 में निम्नलिखित अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की उनके अनुरोध एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्थाई सम्बद्धता समाप्त की गई :-

S.No.	College Name	District	
01	T.M. College Of Bio Science	Bikaner	2015-16

<u>निर्णय</u> : विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2015-16 में प्रदत्त अस्थाई नवीन सम्बद्धता एवं अस्थाई सम्बद्धता समाप्त किये गए महाविद्यालयों की सूची का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/08

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2015 आयोजित परीक्षाओं के अंतिम वर्षों में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों एवं 01 जनवरी, 2015 से दिसम्बर 2015 तक शोध कार्य पूर्ण कर चुके विद्या-वाचस्पति धारियों को तद्नुसार उपाधि ध करने की स्वीकृति प्रदान (ग्रेस पास) करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2004 से 2014 तक के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों एवं शोधार्थियों दिनांक 18-11-2011 को प्रथम दीक्षान्त समारोह एवं दिनांक 10-12-2015 को द्वितीय दीक्षान्त सम आयोजित कर उपाधियों का वितरण किया जा चुका है माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य के स विश्वविद्यालयों को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित करवाने के निर्देश प्रदान किये गए है। उक्त नि की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 22 दिसम्बर को दीक्षान्त समारोह आयोजित कराने सह राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित की गई है।

आगामी दीक्षान्त समारोह 22 दिसम्बर, 2016 में आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त दीक्ष समारोह में परीक्षा वर्ष 2015 में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में सफलतम लगभग ***84004*** अभ्यर्थियों को उ प्रदान की जानी है। साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले **48** अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किये है। उपाधि एवं स्वर्ण पदक की संख्या में संशोधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त 01 जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 67 विद्या-वाचस्पति धारियों को भी उपाधि की जानी है जिसकी सूची संलग्न प्रस्तुत है।

वर्ष 2004 से 2014 तक मुद्रित करवाई गई उपाधि के प्रारूप (जो विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल अनुमोदित है) के अनुसार ही परीक्षा वर्ष 2015 की उपाधियां मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित है। इ अतिरिक्त जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति शोधोपाधि हेतु शोधार्थियों को प्रदान किए गए 67 अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) ध को उनसे सम्बन्धित संकाय और शीर्षक सहित उपाधि मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित है।

अत: विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 201 आयोजित परीक्षाओं में अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण रहे ***84004*** विद्यार्थियों को तद्नुसार उपाधि धारण करने एवं जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 67 विद्या-वाचस्पतियों उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान (ग्रेस पास) करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्र है।

<u>निर्णय</u> : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा f प्रदान किये गए है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जावे तथा दी समारोह के आयोजन की तिथि निर्धारित कर अकादमिक कलेण्डर में अंकित करवाई जावे। उक्त आदेश पालना में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 22 दिसम्बर को दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान गई है। विश्वविद्यालय द्वारा गत द्वितीय दीक्षान्त समारोह में वर्ष 2014 तक की उपाधियों का वितरण जा चुका है। आगामी 22 दिसम्बर, 2016 को आयोजित होने वाले तृतीय दीक्षान्त समारोह में परीक्षा

2015 की 84004 एवं 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 67 विद्या-वाचस्पति धारियों को उपाधि प्रदान की जानी है जिसकी सूची संलग्न है।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायो के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2015 में आयोजित परीक्षाओं में अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण रहे 84004 विद्यार्थियों को तद्नुसार उपाधि प्रदान करने एवं 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 67 विद्या-वाचस्पतिधारियों को उनसे सम्बन्धित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि प्रदान करने का ग्रेस पास किया गया। साथ ही परीक्षा 2015 के अंतिम वर्षो में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/09

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह हेतु ड्रेस कोड में कलर का निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.1(46)(ए)आरबी/2015/2770 दिनांक 13-04-2016 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले दीक्षान्त समारोह हेतु ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया है उक्त ड्रेस कोड में प्रत्येक श्रेणी के लिए साडी के बार्डर का रंग; ब्लाऊज का रंग, चुन्नी का रंग, दुपट्टे का रंग, प्रत्येक श्रेणी के लिए स्टॉल्स एवं बैज का रंग, प्रत्येक श्रेणी के लिए साफे का प्रकार एवं रंग एवं हर श्रेणी में एकरूपता रखने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों/पदाधिकारियों तथा विद्यार्थियों के लिए पृथक-पृथक रंग निश्चित किया जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि हर श्रेणी के लिए उपयोग में लिये गए रंग में एकरूपता रखी जाए।

दीक्षान्त ड्रेस कोड में रंग का निर्धारण करवाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशानुसार दीक्षान्त समारोह हेतु ड्रेस कोड का निर्धारण किया जा चुका है। परन्तु राज्यपाल सचिवालय द्वारा ड्रेस कोड में निम्नानुसार आइटम के कलर का निर्धारण करने हेतु विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है।

विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श कर निम्नानुसार कलर का निर्धारण करने की अनुशंसा की गई :-

- **कुलपति एवं कुलसचिव** : महिलाओं की साडी हेतु लाल चटक बार्डर ।
- **विश्वविद्यालय के अधिकारी/प्राधिकारी** : महिलाओं की साडी हेतु लाल चटक बार्डर।
- **अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि** : महिलाओं की साडी हेतु लाल चटक बार्डर।
- **डिग्री/मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी** : महिलाओं की साडी हेतु लाल चटक बार्डर।
- अतिथि, कुलपति, प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद सदस्य एवं कुलसचिव हेतु कैमल रंग का चमकीला बोर्डर सहित स्टॉल्स ।
- अतिथि, कुलपति, प्रबन्ध मण्डल सदस्यों एवं कुलसचिव हेतु गोल्डन कलर के बैजे, विद्या परिषद सदस्यों हेतु सिल्वर कलर का बैज एवं डिग्री एवं मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए हरा-पीला-लाल रंग का बैज।

- अतिथि, कुलपति, प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद सदस्य, कुलसचिव हेतु पंचरंगी साफा चुनरी का
- महिला सदस्यों हेतु लाल रंग का ब्लाउज एवं चुन्नी।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/10
विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 124-बी में संशोधन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय द्वारा MPCET हेतु ऑर्डिनेंस 124-बी में उल्लेखित प्रावधानानुसार MPCET ar Coursework का आयोजन करवाया जा रहा है। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्डिनेंस-1 में MPCET and Coursework में न्यूनतम उतीर्णांक का प्रावधान किया जाना है। इस हेतु समन्वयक द्वा माननीय कुलपति महोदया को प्रस्तुत प्रस्ताव (छायाप्रति संलग्न) पर माननीय कुलपति महोदया द्वारा विद्या परि के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: समन्वयक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए प्रबन्ध मण्डल को भेजने हेतु प्रस्ता विद्या परिषद के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि MPCET हेतु विश्वविद्याल आर्डिनेंस 124 में न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान नही होने के कारण 0 अंक प्राप्त करने वाला छात्र प पीएच.डी/एम.फिल. हेतु चयनित हो जाता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजन का कोई औचित्य नही र जाता है। साथ ही मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर भी छात्र को लिखित परीक्षा के आधार पर वरीय सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है जो कि उचित नही है। उक्त प्रकरण में माननीय कुलपति महोदया द्वा विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मेरे द्वारा प्रस्तुत नोट पर अनुमति प्रदान की गई। परन्तु तत्सम विद्या परिषद की बैठक आयोजित नही होने के कारण अनुमोदन नही हो सका। इसी बीच MPCET 2015 व आयोजन करवाया गया जिसके लिए जारी विज्ञापन में न्यूनतम 36 प्रतिशत की शर्त अंकित की गई। ग बैठक दिनांक 25-05-2016 में लिये गए निर्णयानुसार बिना न्यूनतम अंक के प्रावधान के एम.पी.सी.ई.टी. 201 का परिणाम जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्र व गई। साथ ही माननीय सदस्य प्रो. अग्रवाल ने कोर्सवर्क के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वा 06 माह का कोर्सवर्क आयोजित करवाया जा रहा है जिसमें 2 1/2 माह विश्वविद्यालय में तथा 3 1/2 मा सम्बन्धित महाविद्यालयों में शोध अधिकारी के अधीन करवाया जा रहा है। माननीय सदस्य का सुझाव था वि उक्त अवधि की गणना भी शोध अवधि में की जानी चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी एम.पी.सी.ई.टी करने व उपरान्त कोर्स वर्क करता है तथा कोर्स वर्क परीक्षा उपरान्त ही उन्हे शोध पर्यवेक्षक आवंटित किया जाता है कुछ माननीय सदस्यों ने सदन को अवगत कराया कि महाविद्यालयों में शोध अधिकारी तो नियुक्त किये ज रहे है परन्तु उसकी सूचना सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्यो को नही दी जा रही है, जिससे कोर्स वर्क के रहे अभ्यर्थी की उपस्थित सत्यापित करने में कठिनाईयां आ रही है। इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों आपत्ति व्यक्त की कि कोर्स वर्क विश्वविद्यालय में संचालित होता है तो उसका मानदेय का भुगतान किय जाता है तो महाविद्यालयों में शोध अधिकारी के अधीन कर रहे कोर्सवर्क के मानदेय का भुगतान भी किय जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में समान शोध नियमों को बनाने के लिए कुलपति समन्वय समिति में लिये गए निर्णयानुसार समिति का गठन किया गया है जिसमें मै भी एक सदस्य हूँ। उक्त समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है तथा अनुशंसा राजभवन को प्रेषित कर दी गई है। कुलपति समन्वय समिति में निर्णित होने के उपरान्त समस्त विश्वविद्यालय में समान शोध नियम प्रभावी हो जाएगें।

विद्या परिषद द्वारा एम.पी.सी.ई.टी. में न्यूनतम अंक का प्रावधान करने एवं पीएच.डी. कोर्स की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु अधिष्ठाताओं की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त समिति में माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से 02 शोध विशेषज्ञों को सम्मिलित करने का निर्णय भी लिया गया।

कुछ सदस्यों ने सदन को अवगत कराया कि शोध पर्यवेक्षकों के पास सीट रिक्त होने के उपरान्त भी उन्हें शोधार्थी आवंटित नही किये जा रहे है। उक्त बिन्दु पर माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने अवगत कराया कि शोध पर्यवेक्षकों से प्राप्त सहमति के आधार पर ही एम.पी.सी.ई.टी. में सीटों की गणना की जाती है। कई सदस्यों द्वारा निर्धारित अवधि में सहमति प्रदान नही की जाती है। कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की कि उन्हे सहमति हेतु पत्र ही प्राप्त नही होता है इसलिए वे निर्धारित समय में सहमति प्रदान करने से वंचित रह जाते है। उक्त आपत्ति पर माननीय सदय प्रो. अग्रवाल ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे निवास का पता अंकित कर शोध अनुभाग को प्रस्तुत करे क्योंकि उनका पत्र सम्बन्धित महाविद्यालयों में प्रेषित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्देश प्रदान किये कि शोध पर्यवेक्षकों को नियमानुसार आवंटित सीटों के अनुसार सहमति प्रदान की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक शोध कार्य हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि उच्च कोटि का शोध कार्य होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि विषयवार शोध पर्यवेक्षकों को आवंटित सीट, उनके अधीन शोध कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या, उनके पास रिक्त सीट आदि डाटा को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि शोध पर्यवेक्षकों को तत्काल सूचना प्राप्त हो सके। साथ ही शोध कार्य करने उपरान्त उनके शोध कार्य को डिजिलाईटेशन प्रक्रिया के तहत ऑन-लाईन किया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक शोध कार्यो का प्रसार हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा सदस्य सचिव द्वारा दिये गए सुझाव पर सहमति प्रदान करते हुए शोध निदेशक को उपरोक्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदया ने शोध पर्यवेक्षकों को ई-मेल के माध्यम से सहमति पत्र प्रेषित करने हेतु शोध निर्देशक को निर्देशित किया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/11

सम्बद्धता शुल्क का पुनर्निधारण करने हेतु प्रस्ताव :-

विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 08-06-2012 के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद-10/07 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8205-8526 दिनांक 13-08-2012 के द्वारा सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण किया गया था। हाल ही में विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जाने है जिनका

सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण किया जाना है। साथ ही म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा वर्ष 2016 में सम्बद्धता शुल्क का पुनर्निधारण किया गया है।

अत: निम्नानुसार सम्बद्धता शुल्क का पुनर्निधारण करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :-

		Affiliation Fee per Year (per Course/Per Unit) Rs.		
S.No.	Name of Course	MGS University, Bikaner at present	MDS University, Ajmer at present	Proposed Fee
1.	For every undergraduate course	30000/up to 03 Section 10000/ additional per Section	50000/-	50,000/-
2.	For every certificate/diploma course	40000/-	40000/-	40,000/-
3.	For introducing one additional Subject in undergraduate course	15000/-	25000/-	25,000/-
4.	For Postgraduate course per subject	25000/-	40000/-	40,000/-
5.	For M.Phil (Per Subject)	20000/-	60000/-	60,000/-
6.	BCA/BBA/B.Sc.-Bio-technology Integrated, B.Sc. Microbiology Integrated	BCA- 50000/- up to 03 section 10000/- Additional per Section. BBA- 60000/- up to 03 section 10000/- Additional per Section. B.Sc.-Bio-technology Integrated/ Microbiology Integrated – 70000/-	BBA/BCA – 80000/- B.Sc. Bio-technology- 80000/-	BBA/BCA – 80000/- B.Sc. Bio-technology- 80000/-
7.	LL.B.	60000/-up to 03 Section 10000/ additional per Section	80000/-	80,000/-
8.	LL.M.	60000/-	80000/-	80,000/-
9.	PGDCA	60000/-	70000/-	70,000/-
10.	B.Ed./B.P.Ed. (Per Unit)	75000/- 100 Student	50000/- (Per Unit)	50,000/- (Per Unit)
11.	M.Ed. (Per Unit)		70000/-	70,000/- (Per Unit)
12.	B.Sc. B.Ed./BA B.Ed./ B.Ed. Special Course(Per Unit)		50000/- Per Unit	50,000/- Per Unit

13.	M.A./M.Sc. Defence Studies/Applied Chemistry/Food & Nutrition/ Enviromental Science/ (Applied Mathematics/Applied Physics/Computer Science/Information Technology/Bio-Technology/Pharmaceutical Chemistry/ Bio Informatics/ Bio-Chemistry	30000/-		40,000/-
14.	PG Diploma in any subject/ PG Diploma in Law	50000/-		70,000/-
15.	BFA	50000/-		60,000/-
16.	BA/B.Sc./B.Com/ Computer Vocational Per Faculty	15000/- 40 Student, 5000/additional per Section		30,000/- 40 Student 10,000/- additional per section
17.	B.Sc. Microbiology Vocational/ Bio-Technology Vocational	15000/-		30,000/-
18.	BA/B.Sc.- GPEM	15000/-		20,000/-

1. There will be 80 students per section for BA & B.Com and 70 Students per section for B.Sc. (For maths & bio group combined).
2. There will be 40 students per section for PG level in Humanities & Social Science and 30 students per section in Science.
3. The above prescribed affiliation fee mentioned against each course shall also be payable to the University with every application for fresh/extension of provisional affiliation whether UG/PG and /or other courses.
4. A college applying for permanent affiliation shall pay four times per course.
5. In case the application for affiliation is received after 31st December, the late fee will be charged as per Ordiance 70-A.
6. An amount non-refundable of Rs. 20000/- towards inspection fee for obtaining affiliation for each course and for periodical inspection shall be payable as inspection fee for fresh Affiliation/extension of affiliation as well as for permanent affiliation.
7. Honorarium to each member of inspection committee Rs. 1000/- per inspection/visit to be paid by the university.

निर्णय : सत्र 2017-18 से उपरोक्तानुसार नवीन सम्बद्धता शुल्क का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/12

सत्र 2016-17 से शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बीएस.सी. बी.एड., तीन वर्षीय बी.एड. एम.एड. पाठ्यक्रम को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.3(1)Edu.-4/2015 dated 21 Dec.,2015 and 23 Feb, 2016 के अन्तर्गत सत्र 2016-17 एवं सत्र 2017-18 हेतु एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम यथ चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बीएस.सी. बी.एड. एवं तीन वर्षीय बी.एड./एम.एड. एवं संदर्भित आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रम को इस विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र नीति को अंगीकृत किया जाना है।

राज्य सरकार के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कुछ महाविद्यालयों को विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन-2014 के प्रावधानुसार चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बीएस.सी. बी.एड., तीन वर्षीय बी.एड. एम.एड. पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गए है। उपरोक्त अनुमोदन पश्चात एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन-2014 के प्रावधानुसार एन.सी.टी.ई. की मान्यता उपरान्त विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर सम्बद्धता प्रदान की जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण एजेण्डा बिन्दु संख्या 11 पर प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सत्र 2016-17 से शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बीएस.सी. बी.एड., तीन वर्षीय बी.एड. एम.एड. पाठ्यक्रम को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/13

महाविद्यालयों द्वारा अयोग्य/अपात्र छात्रों को प्रवेश प्रदान करने पर शास्ति आरोपित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

विभिन्न महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं बी.एड. महाविद्यालयों में स्नातक स्तर प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में छात्रों के प्रवेश के संदर्भ में राज्य सरकार ने उम्र, शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक व अंतराल के संदर्भ में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रवेश नीति में प्रदान कर रखें है। विश्वविद्यालय ने भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व इसकी अनुदेशिका में अंकित अन्य बोर्ड को समकक्ष मान रखा है। साथ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं इसकी अनुदेशिका में अंकित अन्य बोर्ड को भी समकक्ष मान रखा है। उक्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को ही स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्य माना गया है।

इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर पूवार्द्ध में प्रवेश हेतु यू.जी.सी. की सूची में शामिल विभिन्न विश्वविद्यालयों (सरकारी/मानद/निजीमहाविद्यालयों) तथा उनसे सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों तथा यू.जी.सी. की सूची में शामिल पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु योग्य माना गया है

छात्रों का सर्वप्रथम सम्पर्क महाविद्यालय से होता है। प्राय: ऐसा देखने में आया है कि महाविद्यालय स्तर पर छात्रों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अतंराल, बोर्ड (जहां से XII परीक्षा उत्तीर्ण की है) पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय (जहां से स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की है) आदि की व्यापक जाँच नहीं की जाती, जिससे कुछ अयोग्य/अपात्र छात्रों को महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान कर दिया जाता है।। प्रवेश प्रदान करने के उपरान्त विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु छात्रों के नामांकन फार्म महाविद्यालय द्वारा अग्रेषत किए जाते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर जाँच कार्य के दौरान ऐसे अपात्र छात्र पकड़ में आते हैं। कई बार जान बूझकर महाविद्यालय द्वारा नामांकन फार्म देरी से विश्वविद्यालय भिजवाए जाते हैं ताकि अपात्र छात्र परीक्षा में बैठ जाए। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को न्यायिक प्रकरणों का सामना करना पड़ता है जिससे अनावश्यक परेशानी होती है।

समस्त महाविद्यालयों को राज्य सरकार की प्रवेश नीति में उल्लेखित शर्तो तथा समय समय पर विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय पर शर्तो की अवहेलना करने के कारण निम्नप्रकार से शास्ति आरोपित की जानी प्रस्तावित है :-

1. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष - 30,000/- प्रति छात्र
2. स्नातकोत्तर स्तर (पूर्वार्द्ध) - 50,000/- प्रति छात्र

उपरोक्त शास्ति का आरोपण केवल महाविद्यालयों द्वारा नियमों की अवहेलना करने के कारण किया जा रहा है। महाविद्यालय द्वारा आयोग्य/अपात्र छात्रों को प्रवेश देने पर किसी भी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा उनका नामांकन नही किया जाएगा।

उपरोक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> : महाविद्यालयों द्वारा अपात्र/अयोग्य छात्रों को प्रवेश देने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भविष्य में महाविद्यालयों द्वारा अपात्र/अयोग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो उस छात्र का प्रवेश निरस्त करते हुए नामाकंन नही किया जावे। साथ ही महाविद्यालय द्वारा यह कृत्य करने के कारण महाविद्यालय पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जावे :-

1. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष - 30,000/- प्रति छात्र
2. स्नातकोत्तर स्तर (पूर्वार्द्ध) - 50,000/- प्रति छात्र

इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों द्वारा आवंटित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा 2016 में आवंटित सीटों से अधिक प्रवेशित छात्रों पर 10,000/- प्रति छात्र के हिसाब से महाविद्यालय पर शास्ति आरोपित की जावे तथा भविष्य में आवंटित सीटों से अधिक प्रवेश नही देने हेतु लिखित में चेतावनी दी जावे एवं सम्बद्धता शर्तो की पालना नही करने के कारण महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/14

विश्वविद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में विष विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में कार्यरत सह आचार्य एवं सहायक आचार्यो को UGC Regulation 2010 एवं 201 (संशोधन) के प्रावधानानुसार CAS स्कीम के तहत आगामी AGP स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 के अनुसार स्क्रीनिंग क इवेल्यूएशन कमेटी/चयन समिति में विषय विशेषज्ञों का मनोनयन किया जाना है। इसलिए विश्वविद्यालय व पांच विभागों (इतिहास, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान) के लिए विष विशेषज्ञों की सूची (Penal of Subject experts) विद्या परिषद की बैठक के दौरान प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उपरोक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा विषय विशेषज्ञों के पैनल विद्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये गए। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविश्वविद्यालय विभागों में पदस्थापित सहायक आचार्य एवं सह आचार्य को सी.ए.एस. का लाभ प्रदा किया जाना है। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 में दि गए प्रावधानुसार सी.ए.एस. का लाभ प्रदान करने हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करवाया जा आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्देश प्रदान किये कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को 02 माह में सं ए.एस. का लाभ प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय से माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमा अग्रवाल ने सहमति प्रदान करते हुए सी.ए.एस. का लाभ प्रदान करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व नियमों के अुनसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया। साथ ही बिना सहायक आचार्य पद से सीधे ही स आचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सी.ए.एस. का लाभ प्रदान करने हेतु यू.जी.सी. के नियमों के प्ररिपे में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगे जाने का सुझाव भी दिया।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/15

विश्वविद्यालय में शोध कार्य (Ph.D.) के लिए निर्धारित शुल्क का पुनर्निधारण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

विद्या परिषद की 10 बी बैठक 08-06-2012 के विनिर्णय संख्या 10 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा शोध कार्यो के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था। तत्समय Registrartion Fee, Thesis Evaluation Fee and Annual Fee (to be charged by College/University) का पुनर्निधारण किया गया था। हाल ही में प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका मूल्याकंन, केन्द्राधीक्षक एवं अन्य परीक्षात्मक कार्यो हेतु प्रदत्त किये गए मानदेय में वृद्धि की गई है। अत: शोध कार्यो हेतु शुल्क का पुनर्निधारण किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु शोध कार्यो हेतु विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 124 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है :-

क्र.स.	कार्य	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	Entrance Test Fee	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
2	Registration Fee	Rs. 5000/-	Rs. 7500/-
3	Course Work Examination Fee	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
4	Thesis Evaluation Fee	Rs. 8000/-	Rs. 12000/-
5	Arrangement of Second Viva Voce examintion	Rs. 5000/-	Rs. 7500/-
6	Resubmission of Thesis	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
7	Extension of thesis submission period for 6th year	Rs. 5000/-	Rs. 7500/-
8	Extension of thesis and preparation of evaluation report per examiner	Rs. 1500/-	Rs. 2500/-
9	Conduct of Viva-Voce	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
10.	Evaluation of synosis	Rs. 200/-	Rs. 500/-

उपरोक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 में परीक्षात्मक कार्यो के साथ साथ For Reading the thesis of Ph.D. के लिए राशि रू. 1500/- एवं For Practical/Viva-Voce Exmaination for Ph.D. के लिए राशि रू. 1200/- मानदेय निर्धारित कर दिया गया है। शेष कार्यो हेतु प्रस्तावित मानदेय निर्धारित किया जाना है।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त दोनो बिन्दुओं के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तावित मानदेय को निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 124 में प्रावधान करने हेतु अनुशंसा की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/16

विश्वविद्यालय में भाषा परिसर (School of Language) के अनुमोदन का प्रस्ताव

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 13-01-2016 के द्वारा विश्वविद्यालय में **भाषा परिसर (School of Language)** के अन्तर्गत Jananese, Chinese and French विदेशी भाषा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 से प्रारम्भ किये जाने निर्देश प्रदान किये है। इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष-अंग्रेजी द्वारा पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण, योग्यता, समयावधि, सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, परीक्षा स्कीम आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि उच्च शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा सुराज संकल्प घोषणा पत्र 2013 के बिन्दु संख्या 1024 की क्रियान्विति हेतु विदेश भाषा जैसे चीनी, जापानी आदि भाषाओं को महत्व देने हेतु विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में

भाषा परिसर की स्थापना कर पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण, योग्यता, समयावधि, सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, परीक्षा स्कीम आदि का विस्तृत विवरण तैयार किया गया जो विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया :-

1. अधिष्ठाता- कला संकाय
2. अधिष्ठाता- विधि संकाय
3. कुलसचिव
4. वित्त नियंत्रक
5. उप कुलसचिव (शैक्षणिक)

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/17

विभिन्न महाविद्यालयों को प्रदत्त स्थायी सम्बद्धता पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में

विद्या परिषद की 13 वीं बैठक के विनिर्णय संख्या 16 की पालना में विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, अन्य स्टॉफ, भवन, पुस्तकालय, लैब, खेलकूद मैदान आदि की स्थाई सम्बद्धता की शर्तानुसार उपलब्धता के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों से महाविद्यालयों का निरीक्षण कराया गया। प्रबन्ध मण्डल की 6 ठी बैठक दिनांक 11-09-20007 के विनिर्णय संख्या 55 के अनुसार स्थाई सम्बद्धता हेतु प्राचार्य, शिक्षक, अशैक्षणिक स्टॉफ, भवन, पुस्तकालय, खेलकूद, फर्नीचर, एण्डोमेंट फण्ड आदि से सम्बद्ध कतिपय मापदण्ड निर्धारित किये गए थे। महाविद्यालयों में निरीक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्टस के परीक्षण पर यह पाया गया कि अधिकांश महाविद्यालयों में भूमि-भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल मैदान सम्बन्धी संरचनात्मक सुविधायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध है किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य एवं स्थाई शिक्षकों का अभाव है जो स्थाई सम्बद्धता की महत्वपूर्ण शर्त है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2010 में अनुदानित पदों पर नियुक्त शिक्षकों का राज्य सरकार में समायोजन होने के कारण उक्त महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य एवं व्याख्याताओं का नितांत अभाव है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्थाई सम्बद्धता की शर्तें पूर्ण नही होने के बावजूद भी स्थाई सम्बद्धता के कारण विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले सम्बद्धता शुल्क के रूप में निरन्तर बड़ी राजस्व हानि हो रही है।

अत: स्थायी सम्बद्धता हेतु निर्धारित शर्तो की पूर्ण पालना नही किये जाने के कारण निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रदत्त स्थायी सम्बद्धता पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :-

1. बी.जे.एस.आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर।
2. श्री जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर।
3. एन.एस.पी. महाविद्यालय, बीकानेर।
4. मोहता कॉलेज, सादुलपुर
5. सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ

6. के.डी.जी.डी. महाविद्यालय, सरदारशहर
7. चूरू बालिका महाविद्यालय, चूरू
8. एन.एम. विधि महाविद्यालय, हनुमानगढ
9. स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संगरिया
10. महर्षि दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
11. एस.जी.एन. खालसा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
12. सेठ जी.एल. बिहाणी एस.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
13. शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर
14. महर्षि दयानन्द कन्या महाविद्यालय, रायसिंहनगर
15. ज्ञान ज्योति कॉलज, श्रीकरणपुर ।
16. सूरतगढ पी.जी. महाविद्यालय, सूरतगढ ।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 16 महाविद्यालयों को स्थाई सम्बद्धता प्रदान है। पूर्व में लिये गए निर्णयानुसार उक्त महाविद्यालयों की स्थाई सम्बद्धता पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिकारियों से उपरोक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त महाविद्यालयों के पास आधारभूत सुविधा तो उपलब्ध है परन्तु स्थाई सम्बद्धता के समय कार्यरत स्थाई प्राचार्य/व्याख्याताओं के राजकीय सेवा में चले जाने के उपरान्त उक्त महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य/व्याख्याताओं का नितान्त अभाव है। साथ ही कुछ महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों को स्थाई तो कर दिया गया है एवं उनका विश्वविद्यालय से अनुमोदन भी करवा लिया गया है परन्तु उनको यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार वेतन नही दिया जा रहा है। स्थाई सम्बद्धता की शर्तो के अनुसार स्थाई प्राचार्य एवं स्थाई व्याख्याताओं का होना आवश्यक है। ऐसे महाविद्यालयों की स्थाई सम्बद्धता पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ. बजरंग सिंह राठौड ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया कि क्या विश्वविद्यालय स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के उपरान्त पुनः स्थाई सम्बद्धता निरस्त कर सकता है ? माननीय सदस्य डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों को स्थाई सम्बद्धता की शर्तो की पालना करने हेतु समय दिया जाता है तो उचित होगा।

उपरोक्त विचार-विमर्श के उपरान्त विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त महाविद्यालयों की स्थाई सम्बद्धता 01 वर्ष की अवधि हेतु निलम्बित रखी जावे तथा 01 वर्ष की अवधि में यदि महाविद्यालयों द्वारा स्थाई सम्बद्धता की शर्तो की पालना सुनिश्चित कर ली जाती है तो ऐसे महाविद्यालयं की निरीक्षण उपरान्त स्थाई सम्बद्धता बहाल कर दी जावे। उक्त अवधि के दौरान महाविद्यालयों को सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/18

अंग्रेजी एवं हिन्दी अनिवार्य परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में हिन्दी एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा विवरणात्मक रूप से आयोजित कराने के कारण काफी अधिक संख्या में उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल बनाने होते है तथा उनकी जांच कार्य करवाने में अत्याधिक समय लगता है जिससे परीक्षा परिणाम जारी करने में विलम्ब होता है। हाल ही में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा भी Elementry Computer and Environment की तर्ज पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा भी इस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एवं हिन्दी अनिवार्य परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आयोजित करवाने का अनुरोध किया है।

अत: अंग्रेजी एवं हिन्दी अनिवार्य परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/19

अनाथ, बी.पी.एल. परिवारों एवं मूक बधिर बच्चों एवं विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गए गांव के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा तथा मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29-01-2016 को माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार अनाथ, बी.पी.एल. परिवारों एवं मूक बधिर बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा तथा मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय नियमों में प्रावधान किया जाना है। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गए गांव कोटड़ी(जोडबीड़) के बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने हेतु गांव के बच्चों द्वारा विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश लेने पर नि:शुल्क शिक्षा दिया जाना प्रस्तावित है जिसकी घोषणा माननीय राज्यपाल महोदय के गांव कोटडी दिनांक 11-12-2015 को अवलोकन कार्यक्रम के दौरान कर दी गई थी।

अत: उपरोक्तानुसार अनाथ, बी.पी.एल. परिवारों एवं मूक बधिर बच्चों तथा विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गए गांव कोटड़ी के मूल निवासी छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। साथ ही मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था हेतु भी प्रावधान किया जाना है।

निर्णय : विश्वविद्यालय में अनाथ, बी.पी.एल. परिवारों एवं मूक बधिर बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा तथा मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गए गांव कोटड़ी(जोडबीड़) के बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने हेतु गांव के बच्चों द्वारा विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश लेने पर नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करने हेतु विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/20

सम्बद्धता शर्तों की पालना नहीं करने एवं राज्य सरकार द्वारा कतिपय महाविद्यालयों की अना प्रमाण पत्र निरस्त करने के कारण उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्ति करने की कार्यव प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निम्नलिखित महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय के स्थापना के पांच से भी अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी नियमानुसार संचालित संकायों का एडोमेन्ट फण्ड नही बन गया है :-

1. डॉ. राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालश, श्रीगंगानगर
2. एम.आर. मेमोरियल महाविद्यालय, रायसिंहनगर
3. एम.डी. महाविद्यालय, बज्जू
4. जाहवीर गोगाजी नेशनल कन्या महाविद्यालय, भादरा
5. ए. आर. चौधरी महाविद्यालय, सरदारशहर

उपरोक्त महाविद्यालयों को लगातार एण्डामेंट फण्ड बनवाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार निर्दे किया जा रहा है। परन्तु महाविद्यालयों द्वारा वर्तमान तक संचालित संकाय के एण्डोमेंट फण्ड नही बनवाया है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालयों को अंतिम नोटिस भेजकर यह निर्देशित किया गया था कि नि की पालना नही करने पर आगामी विद्या परिषद बैठक में नियमानुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यव प्रारम्भ कर दी जाएगी। इस आशय का महालेखाकार परीक्षा द्वारा भी ऑडिट आक्षेप लिया गया है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4(पालिसी) आकाशि/निस./2014/1395 दिनांक 31-07-2015 समय समय पर जारी अन्य आदेशों के क्रम में निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा जारी अना प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए महाविद्यालय पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश जारी किया गया है :-

1. जगदम्बा महाविद्यालय, महियावाली, श्रीगंगानगर
2. श्री गुरूतेगबहादुर महाविद्यालय, अनूपगढ
3. दून गर्ल्स कॉलेज, सेक्टर न. 06, हनुमानगढ
4. रोहित कन्या महाविद्यालय, नोहर
5. जे.बी. डिग्री महाविद्यालय, रावलामंडी (श्रीगंगानगर)
6. ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, पीलीबंगा ।
7. इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेट एण्ड टेक्नोलॉजी कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ
8. सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, सादुलशहर
9. एम.केप. स्कूल ऑफ मैनेजमेट बीकानेर

उक्त महाविद्यालयों पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार आरोपित शास्ति बकाया है। अत: उ महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के स विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि कुछ महाविद्यालयों द्वारा स्थापना के समय से वर्त तक भी संचालित संकायों का एडोमेन्ट फण्ड नही बनवाया गया है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालयों

बार-बार पत्र प्रेषित कर एण्डोमेंट फण्ड बनाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। यहां तक कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त महाविद्यालयों को अंतिम नोटिस भी दे दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त महाविद्यालयों की अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये गए है जिनकी सम्बद्धता निरस्त की जानी प्रस्तावित है। परन्तु ऐसे महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/व्याख्याता, भूमि-भवन एवं अन्य कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शास्ति राशि जमा नही करवाई जा रही है। वर्तमान में ऐसे महाविद्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त होने के कारण बंद को चुके है। ऐसी स्थिति में उन महाविद्यालयों से शास्ति राशि की वसूली करने में परेशानी आ रही है।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा वर्तमान समय तक एण्डोमेंट फण्ड नही बनवाया गया है ऐसे महाविद्यालयों को सत्र 2015-16 के अंत तक की समयावधि देते हुए एण्डोमेंट फण्ड बनाने हेतु निर्देशित किया जावे। उक्त समयावधि में जिन महाविद्यालयों द्वारा एण्डोमेंट फण्ड नही बनाया जाता है तो ऐसे महाविद्यालयों को आगामी सत्र में प्रवेश नही देने हेतु निर्देशित किया जावे तथा सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त होने के कारण वर्तमान समय में बंद हुए महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावें तथा उन पर आरोपित शास्ति की वूसली की संभावनाओं को तलाश करते हुए माफी हेतु प्रबन्ध मण्डल से अनुरोध किया जावे।

टेबल एजेण्डा

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/21

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मार्किग सिस्टम लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29-01-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में मार्किग सिस्टम लागू किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 4845 दिनांक 20 जुलाई, 2015 (संलग्न छायाप्रति) के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं का परीक्षण एवं मूल्याकंन छात्र हित से जुडा होने के कारण उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन एवं परीक्षण में गुणवत्ता बनाए रखी जाये और ध्यान रखा जाए की परीक्षार्थी को उसके द्वारा दिये गए उत्तर के सापेक्ष में अंक अवश्य प्राप्त हो।

माननीय राज्यपाल महोदय की भावना है कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्याकंन पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु **मार्किग स्कीम** प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए तैयार की जाए। पूछे गए प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर क्या अपेक्षित था इसको भी प्रश्न पत्र बनाते समय ही पेपर सेटर द्वारा अनिवार्य रूप से तैयार किया जाये। यह भी स्कीम का हिस्सा होना चाहिए कि किसी प्रश्न के उत्तर में कौन-कौनसे, कितने तथ्य एवं स्टेप्स अपेक्षित है। इन निर्धारित एवं अपेक्षित तथ्यों और स्टेप्स के अंकित होने पर कितने अंक दिये जाने है इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो तथ्य एवं स्टेप्स मिसिंग हों उन पर कितने अंक काटे जाने होंगे यह भी इस मार्किग स्कीम में अंकित किया जाए। यह व्यवस्था परीक्षा सम्पन्न होने के साथ ही वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी जाये ताकि छात्र अपने द्वारा दिये गए उत्तर के आधार पर अपने प्राप्तांको को आकलित कर सके। इस व्यवस्था से जहॉ परीक्षकों की मनमानी एवं लापरवाही से छात्रों के अहित पर अंकुश लगेगा वहीं परीक्षार्थी भी अपने उत्तर का इस मार्किग स्कीम से मिलान कर प्राप्त अंको

से संतुष्ट हो सकेगा। इस प्रक्रिया से परीक्षार्थी को बिना भ्रम में पडे अपनी उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्याकंन कराने के लिए निर्णय लेने में सहूलियत मिलेगी तथा परीक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा व मनमानी व लापरवाही पर अकुंश लगेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 16-07-2015 के कार्यवाही विवरणानुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति का गठन किया जावे जो मुख्य परीक्षक के अधीन कार्य करे तथा जिसमें 5 से 7 अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर सदस्य हो। उक्त समिति पेपर बनाने से लेकर उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन की प्रक्रिया एवं परिणाम घोषित किये जाने की गतिविधियों का संचालन एवं प्रबन्धन करे।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त सूचना अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में दिये गये प्रश्न विवरणात्मक प्रकार के होते है। विद्यार्थियों द्वारा अपनी-अपनी पृथक शैली में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अत: विवरणात्मक प्रश्नों में स्टेप्स का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। लिखे गये उत्तर के सापेक्ष अंक प्रदान करने हेतु प्रश्न-पत्र के निर्माण में लघुत्तरात्मक प्रश्न/वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाकर स्टेप का निर्धारण किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी उत्तरपुस्तिकाओं की पूर्ण गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन करने हेतु परीक्षकों को विशेष हिदायत दी जाती है। ऐसे प्रश्न-पत्र जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते है की कुंजी परीक्षक से प्राप्त की जाती है और उसके अनुसार ही मूल्यांकन किया जाता है।

अत: माननीय राज्यपाल महोदय की भावना अनुसार विश्वविद्यालय में **मार्किंग सिस्टम** लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल सचिालय से बार-बार पत्र प्राप्त हो रहे है।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29-01-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में मार्किंग सिस्टम लागू किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए है। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा कुलपतियों को पत्र प्रेषित कर विश्वविद्यालयों में मार्किंग सिस्टम लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

विद्या परिषद द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय की भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय में मार्किंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। जिसमें प्रथमत: प्रश्न पत्रों में अंक विभाजन किया जावे तथा अंक विभाजन के आधार पर उत्तरपुस्तिकाओं का परीक्षण करवाया जावे। प्रश्न पत्र निर्माण के दौरान निर्मित करने वाले विशेषज्ञों को मार्किंग सिस्टम के सम्बन्ध में निर्देशित किया जावे। माननीय सदस्य प्रो. एस.के. अग्रवाल ने सुझाव दिया मार्किंग सिस्टम लागू करने के लिए अधिष्ठाताओं की समिति गठित की जावे जो मार्किंग सिस्टम से सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत कर सके।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/22

विश्वविद्यालयों/संघटक व सम्बंद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29-01-2016 में लिये गए निर्णयानुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगणों को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 27-01-2016 को लिखे

अर्द्धशासकीय पत्र में दिये गए सुझावानुसार छात्रों को 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में परीक्षा में बैठने से वंचित करने के दण्ड की व्यवस्था के साथ-साथ नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्देशित किया कि जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मासिक आधार पर सूचना प्रकाशित की जावे तथा कम उपस्थिति के सम्बन्ध में स्वयं विद्यार्थी एवं उनके परिजनों को मासिक आधार पर सूचित किये जाने की व्यवस्था की जावे।

माननीय राज्यपाल महोदय की भावनानुसार विश्वविद्यालय विभागों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति प्राप्त करने वाले छात्रो एवं उनके परिजनों को सूचित किये जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही माननीय कुलपति महोदया द्वारा दिनांक 05-05-2016 को विश्वविद्यालय शिक्षकगणों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों की बॉयोमैट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करवाई जावे तथा नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने के सम्बन्ध में इन्सेंटिव स्कीम के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे तथा छात्रों की अंकतालिकाओं में उपस्थिति का रिकार्ड अंकित कराने की व्यवस्था जावं । इसके अतिरिक्त 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित नही किये जाए।

विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित पालना रिपोर्ट में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने के लिए दण्ड का प्रावधान करने एवं नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर स्लेब अनुसार इन्सेंटिव दिये जाने का प्रावधान करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 685 दिनांक 01-04-2016 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29-01-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय विभागों एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति की सुनिश्चितता एवं नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले छात्रों को उपस्थिति के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया गया। समिति से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सत्र 2016-17 से छात्रो की बॉयोमैट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करवाने एवं नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्रेष्ठ छात्र को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित जाने की अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए बॉयोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के सम्बन्ध में परेशानियों से अवगत कराया गया।

समिति से प्राप्त रिपोर्ट एवं माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशों की पालना में विद्या परिषद द्वारा सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय विभागों एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय कर भावना के अनुरूप अध्यनरत विद्यार्थियों की बॉयोमैट्रिक पर उपस्थिति दर्ज कराने सम्बन्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये गए। साथ ही राजकीय महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति

बॉयोमैट्रिक पर कराने के सम्बन्ध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विद्या परिषद द्वारा 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को दण्ड का प्रावधान करने हेतु परीक्षा आवेदन पत्र अंग्रेषित नही करने हेतु प्राचार्यो को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय विभाग एवं सम्बद्ध महाविद्यालय अपने स्तर पर अध्यनरत छात्रों को महाविद्यालयों में नियमित उपस्थित रहने हेतु पत्र, दूरभाष एवं ई-मेल आदि से सूचित करने की व्यवस्था करे।

नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने के सम्बन्ध में समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विद्या परिषद द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक उपस्थित रहने वाले छात्र को उसके कार्य व्यवहार आदि के आधार पर सर्वश्रेष्ठ छात्र को पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया तथा 90 प्रतिशत तक उपस्थित प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विश्वविद्यालय विभागों में अध्यनरत छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को सम्बन्धित महाविद्यालय के स्तर पर प्रमाण पत्र प्रेषित करने की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/23

विश्वविद्यालय विभागों में नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव

विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, इतिहास विभाग ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर निम्नानुसार विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा प्रारभ करने हेतु अनुरोध किया है :-

क्रं.स	विभाग का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम	प्रस्तावित सीट
1.	कम्प्यूटर विज्ञान	Diploma in Web Designing and Development for Entrepreneurship Program	40
2.	सूक्ष्मजीव विज्ञान	Diploma In Traditional Rajasthani Food Producation	40
		Craftsmanship Certificate Course in Traditional Rajasthni Food Producation	40
3	इतिहास विभाग	B.A.	80
		B.A. Honourse	20
		Post Graduate Course in Museology And Archeology	40
		PG Diploma In Tourism and Culture	40

उपरोक्त पाठ्यक्रम/डिप्लोमा प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना है :-

1. नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा के संचालन हेतु अतिरिक्त वितीय भार।
2. नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा के संचालन हेतु अतिरिक्त स्टॉफ (व्याख्याता/गैर-शैक्षणिक स्टॉफ आदि की उपलब्धता)
3. नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा के संचालन हेतु अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की व्यवस्था।

4. वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम/डिप्लोमा की न्यायोचिता।
5. अतिरिक्त पाठ्यक्रम/डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संचालन हेतु उपलब्ध संसाधनों की स्थिति।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में उपरोक्त पाठ्यक्रम/डिप्लोमा की विधिक स्थिति।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज. सरकार द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक शिक्षा–4–2015 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा विश्वविद्यालय में **Entrepreneurship and small business centers** की स्थापना करने के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए । उक्त निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न है।

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : सर्वप्रथम विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पाठ्यक्रम प्रस्तावों पर विचार विमर्श उपरान्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार समिति गठन करने का निर्णय लिया गया :-

1. समस्त संकाय अधिष्ठाता
2. कुलसचिव
3. वित्त नियंत्रक
4. उप कुलसचिव (शैक्षणिक) - सदस्य सचिव

मगंसिविबी/विद्या परिषद–15/2016/24

माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार शोध निदेशक द्वारा तैयार प. मदन मोहन मालवीय सेन्टर फॉर वेल्यु एज्युकेशन की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव

Maharaja Ganga Singh University proposes to establish Pt. Madan Mohan Malviya Study Centre to carry out researches, compilation of his ideas, etc.

Name and Location

The centre shall be called Pt. Madan Mohan Malviya Centre for Value Eduation. It shall be located on the main campus of Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. It shall come into existence as soon as it gets approval from the Govt. of Rajasthan and the University competent authorities.

Vision

Rebuilding/Reshaping India on the ideals cherished by Pt. Madan Mohan Malviya by propagating his ideas.

Mission

To work towards building a resurgent India based on human values.

Objectives The centre shall -

1. Propagate the ideas of value education of Pt. Madan Mohan Malviyaji
2. Promote projects/researches/studies, etc. aiming at the legacies, contributions, thoughts, etc. of Malviyaji
3. Organize and sponsor regional/national/international level workshops/ seminars/ conferences, symposia in India and abroad.

4. Endeavour to launch ideologically driven diploma/certificate courses on the themes like 'Dream India of Malviyaji', etc.
5. Publish journals, magazines, souvenirs related to the Malviya's thoughts and ideas on value education.
6. Evolve e-materials, documentaries, films, etc. based on Malviyaji's life
7. Do all such activities and organize programmes which spread Malviyaji's thoughts in India and abroad.

Centre's Dignitaries and Officials

There shall be a Director of the Centre. The Director shall be nominated as per the provisions laid down in the statutes of Maharaja Ganga Singh University. Besides the Director, there shall be two Associate Professors and three Assistant Professors.

The officials shall include Programmer, Translator, Computer Operator, Clerk-cum-Typist and MTS. The number of posts of these officials shall be decided and the selection procedure kind be determined by the competent University authorities.

Budget - The centre shall start functioning with a seed amount as decided by the University's competent authorities. A budget will also be earmarked every year for the functioning of the Centre by the competent University authorities.

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में शोध पीठ की स्थापना की जानी है। उक्त निर्देशों की पालना में निदेशक शोध द्वारा विश्वविद्यालय में Pt. Madan Mohan Malviya Centre for Value Education की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति विश्वविद्यालय में Pt. Madan Mohan Malviya Centre for Value Education की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/25

नवीन विभागों की पुनर्समीक्षा हेतु प्रस्ताव :-

विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/10 के द्वारा विश्वविद्यालय में आठ नवीन विभाग यथा हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र राजस्थानी, वाणिज्य, मनोविज्ञान एवं जीवन विज्ञान प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार पदों के सृजन सहित आठ नवीन शैक्षणिक विभाग खोले जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव पर संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक प.14(10)शिक्षा-4/2001 पार्ट दिनांक 13-06-2016 (प्रति संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना के प्रस्ताव का क्षेत्र की मांग एवं छात्रों की उपलब्धता के प्ररिप्रेक्ष में पुनः परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र एवं विधि विभाग खोलने का अनुरोध किया गया है।

अत: विश्वविद्यालय में नवीन विभागों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष पुनर्समीक्षा हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता एवं विश्वविद्यालय में सभी संकायों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नवीन विभागों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/26

परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में नाम गलत लिखने के कारण मुद्रित उपाधि को संशोधित करने के लिए शुल्क निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि का मुद्रण परीक्षार्थी द्वारा भरे गए परीक्षा आवेदन-पत्र में अंकित नाम के अनुसार करवाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की उपाधि मुद्रित करवाने से पूर्व उपाधि में मुद्रित होने वाले छात्र का विवरण जैसे -नाम, महाविद्यालय का नाम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं श्रेणी आदि आदि के लिए जाँच करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, ताकि कोई समस्या हो तो छात्र विश्वविद्यालय को निर्धारित समय अवधि में सूचित कर सके। इसके उपरान्त भी उपाधि मुद्रित होने के पश्चात कुछ छात्र अवगत कराते हैं कि परीक्षा आवेदन पत्र में उनका नाम स्वयं की गलती से गलत मुद्रित हो गया था, जिसके कारण उपाधि में भी उनका नाम गलत मुद्रित हो गया है।

अत: छात्र की स्वयं की गलती से गलत मुद्रित उपाधि में प्रार्थना पत्र के आधार पर आवश्यक संशोधन करने के लिए राशि रू. 500/- शुल्क निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त छात्र की स्वयं की गलती से गलत मुद्रित उपाधि को प्रार्थना पत्र के आधार पर आवश्यक संशोधन कर नवीन उपाधि मुद्रित करवाने की एवज में राशि रू. 200/- शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

मंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/27

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 124 के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। हाल ही में भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 05 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2009 में प्रतिस्थापन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 में हुए निर्णयानुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में समान शोध नियमों के प्ररिपेक्ष में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 05 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना के

अनुसार एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2016 को समावेशित करते हुए पुनः समिति का गठन कर अनुशंसा मांगी गई है।

अतः समान शोध नियम कुलपति समन्वय समिति की बैठक में निर्णित होने तक भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 05 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2016 को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में समान शोध नियम बनाने की अनुशंसा करने हेतु कुलपति समन्वय समिति में लिये गए निर्णयाानुसार समिति का गठन किया गया । समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है तथा उसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र क्रियान्वित होने की संभावना है। उक्त रिपोर्ट में भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 05 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2016 पर भी विचार किया गया है। माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2009 से पूर्व पीएच.डी. कर चुके अभ्यर्थियों को व्याख्याता की पात्रता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना करने पर प्रमाण पत्र दिये जाने का उल्लेख किया गया है :-

3 (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई हो।

(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबन्ध का मूल्याकंन किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक साक्षात्कार किया गया हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।

(ड.) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो प्रस्तुतियां सम्मेलन/संगोष्ठी में दी है।

उपरोक्त में से वर्ष 2009 से पूर्व पीएच.डी. धारी तीन बिन्दुओं की पालना पूर्ण कर रहे है जिनका उनको प्रमाण-पत्र शोध अनुभाग द्वारा जारी किया जा सकता है।

विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में समान शोध नियम निर्णित होने पर शोध कार्य हेतु उक्त नियम प्रभावी होगे। साथ ही तब तक भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 05 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या 3 (क,ख,ग,घ,ड़.) को अंगीकृत करते हुए आर्डिनेंस 124 में दिये गए प्रावधानानुसार शोध कार्य की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/28

राजभवन द्वारा गठित सलाहाकार समूह की बैठक के कार्यवृत पर सुझाव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन द्वारा उच्च शिक्षा में उन्नयन के संदर्भ में सुझाव देने हेतु गटित ''सलाहाकार समूह'' की बैठक दिनांक 31 मई, 2016 के कार्यवृत पर कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 को बिन्दु संख्या 05 '' उच्च शिक्षा से जुडे विभिन्न बिन्दुओं पर गठित ''एडवाईजरी ग्रुप की'' रिपोर्ट पर'' लिये गए निर्णय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यवृत में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा कर सुझाव हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है :-

1. राजकीय विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया को राजस्थान लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि की परीक्षाओं के अनुरूप समीक्षा करने के सम्बन्ध सुझाव।
2. स्नातक स्तर की परीक्षाओं में अनिवार्य विषयों में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता, समान्य ज्ञान आदि का समावेश करने के सम्बन्ध में सुझाव।
3. प्रवेशित छात्रों को उपस्थिति के आधार पर इन्सेंन्टिव दिये जाने के सम्बन्ध में सुझाव।
4. प्रवेशित छात्रों की 75 प्रतिशत की सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सुझाव।
5. परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच हेतु ''केन्द्रीयकृत मूल्याकंन प्रणाली'' अपनाने के सम्बन्ध में सुझाव।
6. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों में ''अकादमिक स्टॉफ महाविद्यालय'' की स्थापना हेतु नीति तैयार करने के सम्बन्ध में सुझाव।
7. विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा ''एडवाईजरी ग्रुप'' के कार्यवृत पर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/29

समाजिक सरोकार के कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पी.जी. प्रवेश में वरीयता देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 के बिन्दु संख्या 12 (iv) लिये गए निर्णयानुसार सामाजिक सरोकार के कार्य करने वाले विद्यार्थियों को लगातार तीन वर्ष तक सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करने पर 1 प्रतिशत लाभांश, लगातार तीन वर्ष में प्रति वर्ष एक निरक्षर को साक्षर करने के साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर $^1/_2$ प्रतिशत, एवं 3 वर्ष तक अध्ययन के उपरान्त पाठ्य पुस्तकें कॉलेज के बुक बैंक में जमा कराने पर $^1/_2$ प्रतिशत का अतिरिक्त लाभांश स्नातकोत्तर में प्रवेश की वरीयता में सम्मिलित करने हेतु नियमों में प्रावधान किया जाना

है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा भी नीति निर्धारित कर उपरोक्तानुसार प्रवेश नीति में क्रियान्वयन किया जा रहा है। तद्नुसार विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु वरीयता में उपरोक्तानुसार नियमों में प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य करने वाले विद्यार्थियों को लगातार तीन वर्ष तक सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करने पर 1 प्रतिशत लाभांश, लगातार तीन वर्ष में प्रति वर्ष एक निरक्षर को साक्षर करने के साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर $^1/_2$ प्रतिशत एवं 3 वर्ष तक अध्ययन के उपरान्त पाठ्य पुस्तकें कॉलेज के बुक बैंक में जमा कराने पर $^1/_2$ प्रतिशत का अतिरिक्त लाभांश स्नातकोत्तर में प्रवेश की वरीयता में सम्मिलित करने हेतु नियमों में प्रावधान करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

मगंसिविबी/विद्या परिषद-15/2016/30

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानको के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय (चतुर्थ संशोधन)) विनियम, 2016 को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विनियम, 2010 एवं 2013 के अनुसार निर्धारित है। इसी क्रम में भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 11 जुलाई, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना अनुसार (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानको के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय (चतुर्थ संशोधन)) विनियम, 2016 जारी किया गया है। तद्नुसार भारत के राजपत्र में अधिसूचित संशोधित विनियम, 2016 को इस विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा भारत के राजपत्र (The Gazzette of India) में दिनांक 11 जुलाई, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना अनुसार (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानको के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय (चतुर्थ संशोधन)) विनियम, 2016 को अंगीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्य महोदया की अनुमति से :

(31) पुनर्मूल्याकंन अवधि - माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार पुनर्मूल्याकंन आवदेन के लिए 15 दिवस की अवधि प्रदान की जावे तथा 1 माह 15 दिवस की अवधि में पुनर्मूल्याकंन का परिणाम घोषित किया जावे। विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में पुनर्मूल्याकंन आवेदन हेतु 30 दिवस की अवधि का प्रावधान है। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार पुनर्मूल्याकंन आवेदन करने की अवधि 15 दिवस करने की सूचना प्रदान करने हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मत सहमति प्रदान की गई।

(32) **सी.डी.सी.** - विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में सी.डी.सी. की स्थापना हेतु कु महोदया को अधिकृत किया गया।

(33) **प्रायोगिक परीक्षा हेतु पैनल** - विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय बी.एड. की त समस्त विषयों की प्रायोगिक परीक्षा हेतु अध्ययन मण्डलों से इकजाई पैनल लेने का निर्णय लिया गया।

(34) माननीय सदस्य डॉ. अभिलाषा आल्हा ने सदन को अवगत कराया कि गृह विज्ञान विषय में पीए कार्य करवाया जाना चाहिए, जिस पर माननीय कुलपति महोदया द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के प्रदान किया।

(35) माननीय सदस्य डॉ. देवीशंकर ने जीव विज्ञान एवं जैन विद्या विषय में पीएच.डी. प्रारम्भ करने अनुरोध किया, जिस पर माननीय कुलपति महोदया द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रद किये

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुलसचिव